न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), लखीमपुर खीरी
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2861 सन 2026
CNR-UPLP010062722026

सरोज वर्मा उर्फ बन्टू पुत्र कल्लूराम वर्मा नि० ग्राम राजापुर थाना फूलबेहड़ जिला खीरी।

.....आवेदक /अभियुक्त

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक
2. पीड़िता/संरक्षक
3. बाल कल्याण समिति, लखीमपुर खीरी
4. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखीमपुर खीरी

---विपक्षीगण

मु०अ०सं०-224/2026
धारा-64(1), 351(3), 137(2), 87 बी०एन०एस०
धारा-3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों
का संरक्षण अधिनियम, 2012
थाना-फूलबेहड़, जिला खीरी।

दिनांक-07.08.2026

1- अभियुक्त **सरोज वर्मा उर्फ बन्टू** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र हाजा मु०अ०सं०-224/2026, धारा-64(1), 351(3), 137(2), 87 बी०एन०एस० व धारा- 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना-फूलबेहड़, जिला लखीमपुर खीरी में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये कि तथाकथित घटना दिनांक 03.07.2026 समय 14:00 बजे की होनी कही जाती है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 04.07.2026 को समय 12:41 बजे अंकित करायी जानी कही जाती है तथा थाने स दूरी 03 किमी कही जाती है। प्रार्थी दिनांक 16.07.2026 से जिला जेल खीरी में बन्दी है।प्रार्थी निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है बल्कि उसको ग्रामीण दलबन्दी के कारण रंजिशन फर्जी फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता द्वारा जाते वक्त घर से जेवर व नकद रूपये लेकर जाना कहा जाता है इससे प्रार्थी के विरूद्ध मामला संदिग्ध का प्रतीत होता है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीड़ित के पर्स में पर्ची मिलना जिस पर नाम सरोज वर्मा व नया नम्बर लिखा होना कहा जाता है इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को उपरोक्त आधार पर अभियुक्त बना दिया गया है। पुलिस द्वारा प्रार्थी दिनांक 16.07.2026 को गिरफ्तार करना कहा जाता है उसके साथ पीडित का होना नहीं कहा गया है इससे भी उक्त मामले में प्रार्थी की संलिप्तता संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रार्थी के अलावा अन्य कोई पैरवी मुकदमा करने वाला नहीं है तथा प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत पर छूटकर जमानत सुविधा

का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि दौरान मुकदमा उचित जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जावे।

3- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी मुकदमा/ पीड़िता को पूर्व में नोटिस जारी किया गया जिसकी तामीला पत्रावली पर संलग्न है। वह न्यायालय में उपस्थित हैं। पत्रावली पर CWC की Report संलग्न होना नहीं पाया जाता है।

4- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर तर्क करते हुये कहा गया कि अभियुक्त निर्दोष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशविरा करके विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया गया है। प्रार्थी द्वारा पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया गया है। उसे फर्जी एवं गलत तथ्यों के आधार पर मात्र परेशान करने की नीयत से फंसाया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। इसलिये उसे उचित जमानत पर रिहा किया जाये।

5- विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6- पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता के हाई स्कूल के अंक पत्र सह प्रमाणपत्र में उसकी जन्मतिथि 30.01.2010 अंकित है जिसके अनुसार घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष 05 माह 04 दिन थी। पीड़िता की अस्थी परीक्षण आख्या पत्रा-वली पर संलग्न नहीं है। पीड़िता ने अपने **धारा-180 बी०एन०एस०एस०** के बयान में कथन किया कि *मैं गांव के ही सरोज वर्मा से पिछले दो महीने से फोन पर बातचीत करती थी तथा मिलती जुलती थी। हम दोनो ने मिलकर घर से जाने की योजना बनाई तथा दिनांक 03.07.2026 को मैं सरोज वर्मा से अपने गांव के बाहर मिली तथा फिर हम दोनों मोटरसाइकिल से दिन में करीब 12 बजे ढाखी जहां सरोज वर्मा की ससुराल है वहां चले गये तथा रात को वहीं रूके तथा सरोज मुझे वहीं छोड़ कर आ गया। अगले दिन दिनांक 04.07.2026 को वह दोबारो मुझे लेने गया और हम अठनछुआ पंहुचे फिर अठनहिया गये जहां हम दोनों ने शारीरिक संबंध बनाये। फिर रात को नौ बजे सरोज वर्मा मुझे ककरपिटटा छोड़ गया तथा अपने घर चला गया। वहां से मैं अकेले रात लगभग दस बजे थाने फूलबेहड़ पर आयी।* पीड़िता ने अपने **धारा–183 बी०एन०एस०एस०** के बयान में कथन किया कि *मैं मेरे पड़ोसी सरोज वर्मा से दो महीने से फोन पर घंटो बात करती थी। उनसे मिलती थी। दिनांक 03.07.2026 को सरोज वर्मा ने मुझे धमकी देकर गांव के बाहर बुलाया और अपने साथ मुझे पैसे व जेवर भी लाने को कहा था। मैं डर से पापा के 42,600/– रू० रखे थे उन्हे और मम्मी के जेवर लेकर चली गयी। वो मुझे बाइक से दोपहर करीब एक बजे ढाखी अपनी ससुराल छोड़कर चले गये। मैं वहां एक दिन रूकी। सरोज दिनांक 04.07.2026 को सुबह दस बजे आया और मुझे अपनी रिश्तेदारी में अठनहुआ के यहां ले गया और फिर अपने साथ अठनहिया ले गया और मेरे साथ शारीरिक संबंध*

बनाये। जब मुकदमें की जानकारी हुई तो वहां से मुझे एक गाड़ी में बैठा दिया और मैं थाने गयी। सरोज वर्मा मेरे से उम्र काफी बड़े हैं। मैं उनसे प्यार करती थी। दिनांक 11.06.2026 को रात में जब मेरे साथ मेरी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाये। मैं इनसे एक बार पड़ोस गांव में मिलने गयी थी वहां भी हमारे बीच शारीरिक संबंध बने। मुझसे बोला कि वो किसी और से भी बात करते हैं और से भी शादी शुदा है वों मुझसे शादी नहीं करेगे। मुझे सरोज शर्मा बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया अब मैं उनसे प्यार नहीं करती।

7– इस प्रकरण में घटना दिनांक 03.07.2026 समय 14:00 बजे की है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.07.2026 को समय 12:41 बजे दर्ज करायी गयी है। पीड़िता ने धारा–180 बी०एन०एस०एस० के बयान में अभियुक्त से पिछले दो महीने से फोन पर बात करने, उससे मिलने जाने, दोनों द्वारा योजना बनाकर घर से जाने तथा शारीरिक संबंध बनाये जाने का कथन किया है। पीड़िता ने धारा–183 बी०एन०एस०एस० के बयान में अभियुक्त से लगभग दो महीने से फोन पर घण्टो बात करने, उससे मिलने जाने, उससे प्यार करने तथा अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बनाये जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता के मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में उसका हाइमन Old torn & healed होना व No sing of use of force पाया गया है। अभियुक्त दिनांक 16.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले के विचारण में समय लगने की संभावना है। मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **सरोज वर्मा उर्फ बन्दू** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०-2861/2026, धारा-64(1), 351(3), 137(2), 87 बी०एन०एस० व धारा- 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना-फूलबेहड़, जिला लखीमपुर खीरी, स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०-50,000/- (पचास हजार रू०) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है।

(नूरी अंसार)
विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)
लखीमपुर खीरी
J.O. Code UP 1572

Digitally signed by NOORI ANSAR
Date: 2026.08.10 14:52:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court